

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

वीरवल

बनाम

महावीर

किस्म मुकदमा

मु.नं०

23

वर्ष 2019

30/5/24

पत्रावली पेश। वकील उमयपति 35-1
उच्च न्यायालय। पत्रावली का निवेदन
कॉन्टि 8.7.24 के पेश की है।

31/7/24

पत्रावली पेश। प्रकरण में अपीलाट/स्कोर्डर
अधिवक्ता ने बहस हेतु समय चाहा, जो दिया गया।
पत्रावली कास्ते बहस दिनांक 24.7.24 को पेश
की है।

24.7.24

पत्रावली पेश। वकील अपीलाट एवं अपीलाट स्वयं को
बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल
6 बजे तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया
उसके बावजूद अपीलाट एवं उनके अधिवक्ता
अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलाट अदम हाजरी
एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास
तुनाबा गया। प्रकरण फंसल नुमार होकर नम्बर से कम होकर
बाद तरीक तर्कील दाखिल टफतर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प इन्चार्ज)

